UPUN010033732026

न्यायालय Addl. District Judge Court No. 1, Unnao

पीठासीन अधिकारी– (Kavita Mishra), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06229**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1420 / 2026

1. राकेश उर्फ राकेश कुमार पुत्र फूलचन्द्र
2. अनुज पुत्र राम सेवक

निवासीगण–ग्राम चितौली थाना माखी, जिला उन्नाव।

.....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, ज़िला उन्नाव

.....विपक्षी।

मु0अ0सं0–354 / 2024
धारा–110,115(2),117(2),126(2),
352, 351(3) बी0एन0एस0
थाना माखी, जिला उन्नाव।

दिनांक0 :–06.06.2026

यह **प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र** आवेदकगण / अभियुक्तगण **राकेश उर्फ राकेश कुमार, अनुज** की ओर से मु0अ0सं0–354 / 2024, धारा–110,115(2),117(2),126(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0, थाना माखी जिला उन्नाव मे प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त न्यायिक अभिरक्षा मे ज़िला कारागार मे निरूद्ध है।

आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदकगण / अभियुक्तगण का यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत है इससे पहले अभियुक्तगण का कोई प्रार्थना पत्र जमानत माननीय उच्च न्यायालय अथवा श्रीमान जी के न्यायालयमें नही दिया गया है न विचाराधीन है और न खारिज हुआ है।

वादी अमरजीत के द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना माखी जनपद उन्नाव को दी गयी तहरीर के आधार पर संक्षेप मे अभियोजन का कथन है कि, प्रार्थी अमरजीत पुत्र स्व0 मुलुकराज निवासी ग्राम चितौली पो0 बिरसिंहपुर थाना माखी जिला उन्नाव का है। प्रार्थी अपने भाई सतीश के साथ दिनांक–02.11.24 को शाम करीब 6.30 बजे अपने खेत से घर वापस आ रहा था तभी रामदेव पुत्र स्व0 ठाकुर प्रसाद ने अपने घर के सामने लापरवाही से प्रार्थी के भाई के पैर पर ऑटो चढ़ा दिया जिस पर प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो रामदेव और वहॉ खड़े राकेश पुत्र फूलचन्द्र, रामसेवक पुत्र रामपाल व अनुज पुत्र रामसेवक गाली गलौज करने लगे व मार पीट पर आमादा हो गए और कहा कि अगर कोई कार्यवाही करोगे तो जान से मार देगें जिस पर प्रार्थी उक्त लोगो से अपनी जान बचाकर अपने घर चला गया सुबह प्रार्थी व उसका भाई सतीश व चचेरा भाई मंगल पुत्र कैलाश उक्त घटना की जानकारी देने थाने जा रहे थे तभी उक्त लोग रास्ते में ही रामसेवक के घर के सामने बैठे थे और रोक लिया और कहने लगे ज्यादा कार्यवाही

करोगे प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो अनुज ने हाथ में कुल्हाड़ी व राम चन्द्र ने लोहे की राड रामसेवक और राकेश लाठी लेकर प्रार्थी व भाई सतीश व मंगल को मारने पीटने लगे जिससे प्रार्थी के हाथ में गंभीर चोट आई है और मंगल के सिर में दो जगह फट गया है जिस कारण मंगल वही बेहोश होकर गिर पड़े जिस पर बचाने दौड़ी मंगल की बहन सुधा पुत्री कैशाल ने मारा पीटा तथा बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए फिर प्रार्थी ने मंगल को पानी का छीटा मारकर होश में लाया अतः प्रार्थना है कि उक्त लोगो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से आधार जमानत मे कथन किया गया कि प्रार्थीगण को फर्जी वाकियात दिखा कर झूठा नामजद किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित नही है कि दिनांक 03.11.2024 को मुलजिमान ने कितने समय मार पीट की मंगल के सिर पर किस मुलजिम ने चोट पहुंचायी यह भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल्हाड़ी, लोहे की राड व लाठी डण्डो से मार पीट करने वाली बात लिखायी है तथा वादी व सतीश व सुधा को भी मार पीट कर चोटे पहुंचायी जाना लिखाया गया है जब कि सतीश व सुधा को कोई मेडिकल नही कराया गया। चश्मदीद गवाह राम किशोर, श्याम बाबू ने बयान में लाठी डण्डो से मारने वाली बात बतायी है, किसी मुलजिम के हाथ में कुल्हाड़ी व लोहे की राड होना नही बताया। मजरूब मंगल का कोई डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल उन्नाव में नही हुआ सीधे उसको कानपुर हैलट अस्पताल भेज दिया गया। भर्ती होने के बाद उसका इलाज हुआ है तथा दिनांक–02.11.2024 को उसको अस्पताल से छुटटी दे दी गयी। मंगल के बयान धारा–161 सी.आर.पी.सी. में भी यह अंकित नही है कि किस मुलजिम ने उसके सिर पर चोट पहुंचायी। मंगल की कोई पूरक रिपोर्ट नही बनायी गयी जिससे यह साबित होता कि उसकी चोट प्राणघातक थी। वादी के भी चार चोटे साधारण थी तथा एक चोट का एक्सरे कराया गया था जिससे उसकी बाई कलाई पर फ्रेक्चर पाया गया। प्रार्थीगण की तरफ से रामदेव पुत्र ठाकुर प्रसाद ने एक रिपोर्ट दिनांक–25.11.2024 को थाना माखी में अपराध सं0–376/2024 धारा–115(2), 352, 351(2) बी0एन0स0 के अन्तर्गत मुलजिमान राम विलास, अमरजीत, सचिन व भारत के विरूद्ध दर्ज करायी थी जिसमें घटना दिनांक 03.11.2024 की दिखाई थी तथा थाना माखी की पुलिस ने रामदेव का डाक्टरी मुआइना दिनांक 03.11.2024 को ही होमगार्ड को चिट्ठी मजरूबी देकर सी.एच.सी. मियागंज में कराया था उसके शरीर पर छः चोटे पायी गयी थी। उस दिन थाने की पुलिस ने रामदेव की रिपोर्ट नही लिखी थी केवल डाक्टरी करायी थी और कहा था कि बाद में रिपोर्ट लिखी जायगी, इसलिए रिपोर्ट लिखाने में देरी हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व राम देव के मेडिकल की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अमरजीत व सतीश का मुलजिम रामदेव से आटो निकालने को लेकर विवाद हुआ था उसी में मारपीट हो गयी थी। सह अभियुक्तगण रामदेव व रामसेवक की जमानत श्रीमान् जी के यहॉ से दिनांक–14.05.2026 को मंजूर हो चुकी है। जमानत पर रिहा होने से गवाहान सबूत पर कोई असर नही पडेगा। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से उक्त जमानत

प्रार्थना–पत्र पर थाने की आख्या का उल्लेख करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त अन्य सह अभियुक्तों ने लाठी डण्डो से मिलकर मार पीट कर गंभीर चोटे पहुंचायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

वादी मुकदमा की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के विरोध में आपत्ति प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा उक्त घटना में वादी मुकदमा के हाथ में फैक्चर व अन्य गंभीर चोटै एवं चोटहिल मंगल का सर फअने से हेड इन्जरी व अन्य गंभीर चोटै आना बखूबी साबित है। अभियुक्तगण सभी ने एक साथ मिलकर वादी मुकदमा व अन्य चोटहिलों को कुल्हाड़ी, लोहे की राड व लाठी डण्डो से बुरी तरह मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाई है। ऐसी स्थिति में यदि इन्हें जमानत दी गई तो वह प्रार्थी/वादी मुकदमा व अन्य चोटहिल मंगल आदि को जान से मार डालेगें। मंगल व अमरजीत के पुलिस बयानों में स्पष्ट कहा गया है कि अनुज के हाथ में कुल्हाड़ी राकेश के हाथ में लाठी, रामचन्द्र के हाथ में लोहे की राड़, रामसेवक के हाथ में लाठी थी सभी ने मिलकर मारा पीटा। जिससे अमरजीत का बॉया हाथ टूट गया तथा मंगल का सर दो जगह फूट गया। जिससे उक्त घटना से हेड इन्जरी भी हुई है इस कारण मुल्जिमान को जमानत दिये जाने का सख्त विरोध है।

उभय पक्षों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा के भाई के पैर पर ऑटो चढ़ा दिया जिस पर वादी ने इसका विरोध किया तो सह अभियुक्तों के साथ गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी व लोहे की रात से मार पीट कर चोटे पहुंचाई। मजरूब के शरीर पर कोई प्राणघातक चोट का निशान नही है। संबंधित मामलें आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित मामले में सह अभियुक्तगण की जमानत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक–14.05.2026 स्वीकृत की जा चुकी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 29.05.2026 से ज़िला कारागार मे निरूद्ध है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की एस.एल.पी. (कि.)नं0–5191/2021 सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति सी.बी.आई. दिनांकित 07.10.2021 मे प्रतिपादित सिद्वान्तों को दृष्टिगत रखते हुए एवं गुण–दोष पर किसी भी प्रकार का कोई मत व्यक्त किये बिना,न्यायालय की राय मे जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **राकेश उर्फ राकेश कुमार, अनुज** द्वारा प्रस्तुत **प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सख्या–1420/2026**, मु0अ0सं0–**354/2024**, **धारा–110,115(2),117(2), 126(2), 352,351(3) बी0एन0एस0**, थाना **माखी,** जिला उन्नाव निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. अभियुक्तगण स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता विचारण मे उपस्थित रहकर न्यायालय की कार्यवाही मे सहयोग करेगे।

2. अभियुक्तगण वादी मुकदमा एवं गवाहों के दौरान विचारण डरायेगे,धमकायेगे नही

और न ही कोई प्रलोभन देगे।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा **मु.50,000/–(पचास हजार रूपये)** का स्वबंध पत्र एवं इसी समान धनराशि की दो प्रतिभु संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 06.06.2026

(कविता मिश्रा)
अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–1, उन्नाव।